

अधिसूचना
9 मार्च, 2007

एस०ओ० 67, दिनांक 9 मार्च, 2007--झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 21, 2006 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 8 की उपधारा (5) के खण्ड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल स्तंभ-2 में उल्लिखित विभिन्न क्रियाकलापों/प्रक्रियाओं में संलग्न निम्न विक्रयों एवं क्रयों के लिए स्तम्भ-3 में उल्लिखित शर्तों एवं बंधेज के अधीन स्तम्भ-4 में विहित सीमा विनिर्दिष्ट करते हैं :-

क्रम संख्या	क्रियाकलापों तथा प्रक्रियाओं की प्रकृति	शर्त एवं बंधेज	विहित सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रेस्टोरेंट, भोजनालय, रिफ्रेशमेंट रूम, बॉर्डिंग एस्टब्लिशमेंट, फैक्ट्री, कैंटीन, क्लब एवं कैंटरर्स एवं उनके द्वारा परोसे जाने एवं उपभोग के लिए तैयार किये गये भोजन या अन्यथा तैयार की गयी मिठाईयाँ, ताजे स्नेक्स इत्यादि,	बशर्ते वे तुरन्त परोसे जाने एवं उपभोग के लिए हों, लेकिन किसी भी रूप में मादक पेय को छोड़कर	2 लाख
2	ईंटों की बिक्री एवं आपूर्ति में लगे हुए ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा संचालित प्रक्रिया	इस उद्देश्य के लिए रिफ्रैक्ट्री ब्रिक्स शामिल नहीं होगी।	1 लाख
3	स्टोन क्रशर्स इकाईयाँ: स्टोन बोल्डर्स, स्टोन चिप्स, स्टोन डस्ट की बिक्री या आपूर्ति में लगे हुए, यंत्रचालित या अन्यथा	इस उद्देश्य के लिए मार्बल स्टोन्स, ग्रेनाईट्स स्टोन्स एवं समरूप स्टोन्स शामिल नहीं होंगे।	1 लाख
4	बेकरी: गैर यंत्रचालित		2 लाख

उक्त अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2006 के प्रभाव से प्रवृत्त समझी जाएगी।

(बिक्री कर/वैट/2/2006/521)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अलका तिवारी,

सचिव-सह-आयुक्त,

वाणिज्य-कर विभाग, झारखण्ड, राँची।

अधिसूचना

9 मार्च, 2007

एस०ओ० 68, दिनांक 9 मार्च, 2007/एस०ओ० 67, दिनांक 9 मार्च, 2007 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अलका तिवारी,

सचिव-सह-आयुक्त,

वाणिज्य-कर विभाग, झारखण्ड, राँची।

NOTIFICATION

The 9th March, 2007

S.O.--67, dated the 9th March, 2007--In exercise of the powers conferred by the clause (e) of sub-section (5) of Section 8 of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (as amended by the Jharkhand Act 21, 2006) the Governor of Jharkhand is pleased to specify that the following sales and purchases involved in the activities/process(s) as mentioned in column (2) below, subject to the conditions and restrictions: as set out in column (3), the specified quantum shall be as set out in column (4) --

Sl. No.	Nature of activities and process(s)	Restriction and conditions	Specified Quantum
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Restaurants, Eating House, Refreshment Room, Boarding Establishment, Factory Canteen, Clubs and Caterers; in course of preparing their cooked food or otherwise prepared / sweet meals / fresh snacks etc.; for ready to serve and consumption.	Subject to the condition that they are ready for immediate serving and consumption thereof, but excluding alcoholic drinks in any form.	Rs. 2 Lakhs
2.	Process undertaken by Brick kiln owners engaged in the sale & supply of bricks	For this purpose "Refractory Bricks" shall not be included.	Rs. 1 Lakh
3.	Stone Crusher units : whether mechanized or otherwise: engaged in the sale or supply of stone boulders, stone chips, stone dust.	For this purpose Marble Stones, Granite Stones and Similar Stones shall not be included.	Rs. 1 Lakh
4.	Bakery: Non mechanized		Rs. 2 Lakhs

This Notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2006.

[File No. Bikri kar/VAT/2/2006/521]
By the Order of the Governor of Jharkhand,

Alka Tiwari,
Secretary-cum-Commissioner,
Commercial Taxes Department,
Jharkhand, Ranchi